

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश संख्या-8/नियम सभा/2015-16/111

8/11/2015 दिनांक-15

2015

सेवा में

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालय कक्ष के लिए भवन निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत 100.00 लाख (एक करोड़ रु०) का बजट उपबन्ध प्राप्त है।

3. राज्य के अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के लिए न्यायालय कार्यालय कक्ष का निर्माण का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के द्वारा कार्यान्वित हो रहा है। अतः राशि का व्यय बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाएगा।

4. राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. राशि का व्यय वित्त विन्नासीय परिपत्र संख्या 2561(वि०) दिनांक-17.04.98 के आलोक में किया जायगा।

6. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायगा तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उक्त राशि को पी० एल० एकाउन्ट में जमा कर कार्य को विधिवत संपादित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत राशि का व्यय का वहन मुख्य शीर्ष-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051 निर्माण समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष-0104 भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय कक्ष के निर्माण माँग संख्या-40, विपत्र कोड-P4047000510104 स्क्रीन कोड-REV-5656 विषय शीर्ष 5301, मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से तथा/या आवश्यकतानुसार राशि का उपबंध कराकर किया जायगा।

कृ०पृ०उ०

8. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना राजि का उपयोगिता प्रस्ताव-पत्र एवं ड्राइंग्स
वैल B.T.C. (अन-ETB) नं० 06-18 से 27 में भरकर नहलेंख कार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी उपलब्ध करायें।

9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. स्वीकृत राजि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह -
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

झापांक-8/नियम संशोधन-08-04/10- /रा०, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि-बुद्ध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना, प्रधान सचिव, भवन
निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह -
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

FAX
Email

झापांक-8/नियम संशोधन-08-04/10- 1095 (8) /रा०, पटना-15, दिनांक- 11/9/15
प्रतिलिपि-सभी संबंधित समाहर्ता एवं संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह -
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

11/9/15